



-:प्रेस नोट:-

दिनांक- 04.10.2026

कार्यालय पुलिस अधीक्षक बांदा

❖ **जान से मारने की नीयत से व्यक्ति के ऊपर पेट्रोल डाल कर आग लगाकर गम्भीर रूप से घायल करने वाले अभियुक्त को थाना अतर्रा पुलिस द्वारा किया गया गिरफ्तार ।**

विवरण- पुलिस अधीक्षक बांदा श्री पलाश बंसल के कुशल निर्देशन में जनपद में अपराध एवं अपराधियों पर प्रभावी नियंत्रण लगाए जाने तथा वांछित अभियुक्तों कि गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में दिनांक 03.10.2026 की देर शाम को थाना अतर्रा पुलिस द्वारा व्यक्ति को जान से मारने की नीयत से पेट्रोल डाल कर आग लगाकर गंभीर रूप से घायल करने वाले अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया । गौरतलब हो कि दिनांक 21.09.2026 को थाना नरैनी क्षेत्र के ग्राम बाबूपुर के रहने वाले रामप्रकाश द्वारा सूचना दी गई कि थाना अतर्रा क्षेत्र के रहने वाले पूर्व परिचित व्यक्ति द्वारा आपसी विवाद के चलते जान से मारने की नीयत से पेट्रोल कि मदद से आग लगाकर गंभीर रूप से घायल कर दिया था । सूचना प्राप्त होते ही थाना अतर्रा पर अभियोग पंजीकृत करते हुए अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु टीमों का गठन किया गया । इसी क्रम में मुखबिर की सूचना पर अभियुक्त को थाना अतर्रा क्षेत्र के ग्राम बल्लान से गिरफ्तार कर लिया गया है ।

गिरफ्तार अभियुक्त-

1. उमेश पुत्र रामप्रताप निवासी सेमरिया कुशल (लाला का पुरवा) ग्राम बल्लान थाना अतर्रा जनपद बांदा ।

पंजीकृत अभियोग-

- मु0अ0सं0- 352/26 धारा 109/124(1) बीएनएस थाना अतर्रा जनपद बांदा ।

गिरफ्तारी करने वाली की टीम-

1. निरीक्षक श्री मेहरे आलम थाना अतर्रा जनपद बांदा
2. कां0 शाश्वत यादव
3. कां0 शिवम प्रताप सिंह